## विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन के दो भाग है भाग- प्रथम नगरीय स्थानीय निकाय और भाग- द्वितीय पंचायती राज संस्थाऐं। भाग- प्रथम में तीन अध्याय हैं प्रथम अध्याय में नगरीय स्थानीय निकायों के लेखा प्रक्रिया सहित वित्त पर विहंगावलोकन, अध्याय- द्वितीय में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा तथा सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी परियोजनाओं पर कथ्यात्मक कंडिका से संबंधित हैं। अध्याय तृतीय में तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत अनुदान के जारी एवं उपयोग करने तथा लेनदेनों की लेखापरीक्षा का विवरण है। भाग- द्वितीय में दो अध्याय है जिसके अध्याय- प्रथम में पंचायती राज संस्थाओं के लेखांकन प्रक्रियाओं सहित वित्त पर विहंगावलोकन और अध्याय- द्वितीय में तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत अनुदान के जारी एवं उपयोग तथा लेनदेनों की लेखापरीक्षा का विवरण है।

## भाग- प्रथम,

## नगरीय स्थानीय निकाय

## नगरीय स्थानीय निकायों की लेखांकन प्रक्रियाओं सहित वित्त पर विहंगावलोकन

- भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त टास्क फोर्स द्वारा निर्धारत लेखांकन प्रपत्र नगरीय निकायो द्वारा नहीं अपनाये गये।

**(कंडिका 1.4)**

- नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग सृजित नहीं किया गया।

**(कंडिका 1.5.2)**

- नगरीय स्थानीय को अनुदान की राशि ₹ 49.55 करोड़ कम जारी की गई।

**(कंडिका 1.8)**

- 11 नगरीय स्थानीय निकायों के रोकड़बही एवं बैंक पास बुक में अंतर की राशि का समाधान नहीं किया गया।

**(कंडिका 1.11)**

- नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा कर राजस्व ₹ 49.23 करोड़ तथा गैर कर राजस्व ₹ 21.95 करोड़ वसूल नहीं किया गया।

**(कंडिका 1.12)**

- 13 नगरीय स्थानीय निकायों में कार्यायलीन कार्य के लिये कर्मचारियों तथा एजेन्सियों को प्रदान किये गये ₹ 8.56 करोड़ के अस्थायी अग्रिम 1 से 33 वर्ष की अवधि से लंबित रहे।

**(कंडिका 1.13)**

## अध्याय-द्वितीय
## ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लागू करने हेतु प्रदाय निधि राशि ₹ 10.23 करोड़ अवरूद्ध रही।

**(कंडिका 2.1.6.4)**

नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रावधानों में शामिल नहीं किये गये मदों पर राशि ₹ 87.77 लाख व्यय किया गया।

**(कंडिका 2.1.6.5)**

घर-घर से नगरपालिका ठोस अपशिष्ट एकत्रित करने हेतु उपभोक्ता प्रभार की वसूली राशि ₹ 1.28 करोड़ लंबित रही।

**(कंडिका 2.1.7.5 )**

भूमिभरण स्थल के लिये भूमि के आवंटन में असाधारण विलंब हुआ।

**(कंडिका 2.1.7.9)**

बूचड़खानों से उत्पन्न होने वाले तरल के पूर्व उपचार की व्यवस्था नहीं की गई।

**(कंडिका 2.1.10.1(अ))**

नगरीय निकाय खंडवा, शिवपुरी एवं भोपाल द्वारा क्रियान्वित सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी परियोजनाओं पर कथ्यात्मक कंडिका।

**(कंडिका 2.2)**

## अध्याय-तृतीय
## लेनदेनों की लेखापरीक्षा पर कंडिका

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर नगरीय स्थानीय निकायों को जारी तथा उपयोग किये गये अनुदान पर लेखा परीक्षा निष्कर्ष

**(कंडिका 3.1)**

बिजली बिलों के नियमित भुगतान न करने से नगर पालिका निगम उज्जैन को ₹1.23 करोड़ का अधिभार वहन करना पड़ा।

**(कंडिका 3.1)**

नगर पालिक निगम उज्जैन द्वारा अस्थाई परियोजना के लिये अनुदान प्राप्त कर उसे सहायता अनुदान में परिवर्तित नहीं करने के कारण राशि ₹ 15.67 करोड़ के दायित्व का निर्माण

**(कंडिका 3.3)**

भोपाल नगर पालिक निगम क्षेत्र के अंतर्गत दूरसंचार/मोबाईल टॉवर स्थापित किये जाने हेतु दूरसंचार कम्पनी से शुल्क की वसूली न किये जाने से राजस्व हानि राशि ₹ 7.90 करोड़

**(कंडिका 3.4)**

## भाग-द्वितीय
## पंचायती राज संस्थाऐं

### अध्याय-प्रथम
### पंचायती राज संस्थाओं की लेखांकन प्रकियाओं सहित वित्त पर विहंगावलोकन

पंचायती राज संस्थाओं के लेखे ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में नहीं रखे गये।

**(कंडिका 1.5.1)**

जिला पंचायत नरसिंहपुर द्वारा वार्षिक बजट तैयार नहीं किया गया।

**(कंडिका 1.5.3)**

पंचायत राज संस्थाओं के अनुदान राशि ₹195.28 करोड़ का कम हस्तांतरण किया गया।

**(कंडिका 1.9)**

आठ जिला पंचायतों तथा 13 जनपद पंचायतों द्वारा बैंक सामाधान विवरण तैयार नहीं किये गये।

**(कंडिका 1.10)**

उपयोगिता प्रमाणपत्र की त्रुटिपूर्ण जानकारी भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया।

**(कंडिका 1.12)**

अस्थाई अग्रिम राशि ₹ 19.42 लाख का समायोजन नहीं किया गया।

**(कंडिका 1.13)**

### अध्याय-द्वितीय
### लेनदेनों की लेखापरीक्षा पर कंडिका

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर पंचायती राज संस्थाओं को जारी अनुदान तथा उसके उपयोग पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष

**(कंडिका 2.1)**

बैंक के दिवालिया होने के कारण योजना राशि ₹ 1.82 करोड़ की हानि तथा योजना का क्रियान्वयन न होना।

**(कंडिका 2.2)**